

परिशिष्ट “डी”

साधारण और सहायक नियमों और प्रशासन द्वारा समय-समय पर अनुदशों में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्यप्रति के परिचालन कार्यों से सम्बन्ध में स्टेशन कर्मचारियों का निम्नलिखित कर्तव्य शामिल होंगे –

1. स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर –

स्टेशन मास्टर स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी है। संचालन एवं कुशलता के उच्च मानक की उपलब्धि एवं निर्वाह करने के लिए सुरक्षित संचालन के लिए सामान्यतया उत्तरदायी है। अतः उनका कर्तव्य है कि व सभी श्रेणियों के कर्मचारी को अपनी उपस्थिति का एहसास कराये। उसके कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है –

- 1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 1.2 यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक जांच करना कि सभी श्रेणी के कर्मचारी अपनी पाली रोस्टर के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा सही व सुरक्षित कार्य पद्धति अपनायी जा रही है।
- 1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को आवधिक परीक्षा एवं जांच कराना कि इन से सम्बन्धित कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी नियमों से वे पूर्णतः अवगत है।
- 1.4 दुर्घटना निवारण एवं संचालन को सही एवं संरक्षित विधि के प्रयोग सम्बन्धी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
- 1.5 यार्ड एवं गार्ड के साधनों का आवधिक निरीक्षण।
- 1.6 आश्वासन पुस्तिका, दुर्घटना पुस्तिका एवं स्टेशन संचालन नियमावली का रख-रखाव करना।
- 1.7 रात्रि में स्टेशन कार्यालय और गाड़ी संचालन के प्रयोजनार्थ निर्धारित नियम पुस्तिका, दैनिक गाड़ी सिगनल पुस्तिका, पेपर लाइन क्लियर पुस्तिकाओं, सतर्कता आदश पुस्तिका टी/409 एवं टी/369(1)या(3बी) इत्यादि का आवधिक निरीक्षण करना।
- 1.8 सभी अनियमितताओं एवं नियम भंग के मामले का पता लगाना और रिपोर्ट करना।
- 1.9 सामान्य संचालन में सुधार लाने अथवा संरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए यार्ड में किसी आवश्यक संशोधन सम्बन्धित सुझाव सहित युक्ति भी सुझाना।
- 1.10 स्टेशन मास्टर निम्नलिखित पैरा (2) में सहायक स्टेशन मास्टर के लिए वर्णित कर्तव्यों के मदों के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

2. कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर –

कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर स्टेशन और गाड़ियों के संचालन आगमन एवं प्रस्थान से सीधे सम्बन्धित एवं उसके संचालन के प्रभारी होंगे। गाड़ी संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों के उनके आदशों एवं अनुदशों के अनुरूप कार्य करना चाहिये। उनके कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

(बसन्त राय)
मं0सि0दू0इं0/निर्माण
पू0उ0रे0/वाराणसी
दिनांक

(एन0एन0 दास)
मंडल परि0 प्रबन्धक
पू0उ0रे0/वाराणसी
दिनांक

- 2.1 कार्यमुक्त हो रहे स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर से सामान्य एवं असामान्य गाड़ी संचालन के लिए अपेक्षित यार्ड, कांटों, सिगनलों, कैंक हैण्डिल निजी संख्या पुस्तकों की स्थिति से आश्वस्त होना एवं यह सुनिश्चित करना कि परिचालन परिपत्र संख्या 9 पैरा 43(3)(ख)(1)के अनुसार अपूर्ण या खराब मदों का स्टेशन डायरी में विशेष उल्लेख किया गया है।
- 2.2 आगमन की अनुमति देना और प्राप्त करना एवं यह पुष्टि करना कि प्रयोग प्राधिकार अंतिम रोक सिगनल 'साफ' है।
- 2.3 ब्लाक यंत्रों का संचालन एवं नियंत्रक कन्ट्रोल टेलीफोन पर स्वयं उपस्थित होकर बातचीत करना।
- 2.4 साधारण एवं सहायक नियमों के अनुरूप सभी गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान करना।
- 2.5 सिगनलों को 'आफ' स्थिति में करने से पहले लाइन का साफ होना सुनिश्चित करना।
- 2.6 शंटिंग कार्यवाही का पर्यवेक्षण।
- 2.7 जाने वाली गाड़ियों के लिए चालकों का यथापेक्षित सतर्कता आदश (टी-409) एवं खराब सिगनलों को पार करने हेतु (टी-369) (1) या 3-बी जारी करना।
- 2.8 'शिफ्ट वाइज' कर्तव्य के दौरान स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
- 2.9 निजी संख्या पुस्तिका ब्लाक यंत्रों के कुजियों, स्टेशन पैनल एवं कैंक हैण्डिल के ताले एसेम्बली के ताले लाक को निजी अभिरक्षा में रखना।
- 2.10 अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- 2.11 स्टेशन मास्टर के कार्य पर नहीं रहने 'आफ आवर्स' के दौरान स्टेशन का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 2.12 किसी सामान्य या विशेष आदश द्वारा आबंटित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।
- 2.13 गाड़ियों के पूर्ण आगमन को सुनिश्चित करना।
- 2.14 मोटर चालित कांटों को संचालित करना।

टिप्पणी : उपर्युक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

3. कांटावाला –

स्टेशन पर गाड़ियों के रिसेप्सन एवं डिस्पैच तथा शंटिंग के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदशों के पालन करने का उत्तरदायी है। स्टेशन की सुरक्षा एवं त्वरित कार्य के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदशों का पालन करना है। इसके साथ-साथ उसकी ड्यूटी में नीचे लिखे कार्य भी शामिल हैं –

कमशः पृष्ठ 3 पर

(बसन्त राय)
मं०सि०दू०इं०/निर्माण
पू०उ०रे०/वाराणसी
दिनांक

(एन०एन० दास)
मंडल परि० प्रबन्धक
पू०उ०रे०/वाराणसी
दिनांक

- 3.1 पैनल से जो कांटे संचालित नहीं होते उनकी आवश्यकता पड़ने पर पैनल संचालित कांटों की शंटिंग तथा लाकिंग तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार गार्ड की देख-रेख में स्टेशन पर गाड़ियों की शंटिंग करना।
- 3.2 आवश्यकता अनुसार गाड़ियों का पायलट करना तथा पेपर लाइन क्लियर टिकट और टी-369 (1) या 3-बी को हस्तांतरित करना।
- 3.3 जैसे और जब कार्यरत स्टेशन मास्टर आदश दे कुहासा सिगनल को लगाना।
- 3.4 स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सेफ्टी चेन बांधकर ताला लगाना।
- 3.5 अगर कोई सतर्कता आदश हो तो सभी अप एवं डाउन गाड़ियों को सतर्कता आदश देना।
- 3.6 पैसेन्जर गाड़ियों के लाइन क्लियर एवं पैसेन्जर गाड़ियों को जाने हेतु स्टेशन की घंटी बजाना।
- 3.7 रूकने वाली गाड़ियों के गार्ड से रिपोर्ट लेना।
- 3.8 आवश्यकता पड़ने पर पार्सलों को लादना तथा उतारना।
- 3.9 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदशों का शीघ्रता एवं ईमानदारी से पालन करना।

4. फाटकवाला –

फाटकवाला उसके चार्ज में दिये समपार फाटक के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन द्वारा दिये गये उपकरणों को सुरक्षित रखना, उनके उचित प्रयोग और अनुरक्षण का उत्तरदायी उसी का है। उसे सड़क यातायात और रेलवे के लिए सदैव सतर्क रहना है और फाटक को निर्धारित तरीके से परिचालित करके रेल यातायात एवं सड़क यातायात दोनों को सुरक्षित करना है। शंटिंग मूवमेंट और गाड़ी गुजरने पर फाटक को बंद करना तथा सड़क यातायात डिटेंशन की घटना न घटे उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं –

- 4.1 गाड़ी को गुजरने के लिए समपार फाटक को बंद करके ताला लगाना तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को समपार फाटक के बंद होने की सूचना संबंधित परिशिष्ट 'ए' के अनुसार देना।
- 4.2 दिन में गेट लाज की तरफ सतर्कता के साथ दाहिने हाथ में लाल व बायें हाथ में हरी झण्डी लेकर तथा रात में हाथ बत्ती को ट्रैक की तरफ सफेद राशनी करके खड़े होना चाहिये जिससे कि आपात स्थिति में वह आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र हाथ बत्ती दिखा सके।
- 4.3 खतरे की आशंका में उसे सतर्क और तुरन्त कार्यवाही हेतु तैयार रखना चाहिये।
- 4.4 उसे देखना चाहिये कि समपार फाटक छोड़ना पड़ जाय तो सड़क यातायात को रोकने हेतु फाटक को बंद कर ताला लगा देना आवश्यक है।

कमशः पृष्ठ 4 पर

(बसन्त राय)
मं०सि०दू०इं०/निर्माण
पू०उ०रे०/वाराणसी
दिर्नॉक

(एन०एन० दास)
मंडल परि० प्रबन्धक
पू०उ०रे०/वाराणसी
दिर्नॉक

- 4.5 फाटक की बतियां निरंतर प्रज्वलित रहना चाहिये, इसे सुनिश्चित कर लें।
- 4.6 यदि आपात स्थिति में उसे फाटक छोड़ना पड़ जाय तो सड़क यातायात को रोकने हेतु फाटक को बंद कर ताला लगा देना आवश्यक है।
- 4.7 इसे सुनिश्चित करना चाहिये कि पहियों के फ्लेन्च के पैनल हमशा साफ रहते हैं।
- 4.8 फाटक या उससे संबंधित यंत्रों में यदि कोई खराबी दिखायी देती है तो शीघ्र से शीघ्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित कर देना चाहिये।
- 4.9 यदि वह देखता है कि गाड़ी पार्ट हो गयी हो तो शोर मचाकर या हाव-भाव से ड्राइवर एवं गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये।

(उसे खतरे का सिगनल कतई नहीं दिखाना चाहिये)

- 4.10 उसे अपने कार्यभार के घंटों में फाटक पर प्रत्येक दशा में उपस्थित रहना चाहिये। उसे समपार फाटक को तब तक नहीं छोड़ना चाहिये जब तक कि वह कार्यमुक्त न हो गया हो।
- 4.11 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये सभी बैध निर्देशों का पालन करना चाहिये।

क. गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिए फाटक को बंद करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाटक बंद इंडीकेशन देगा।

ख. फाटक होकर गाड़ियों के संरक्षित रूप के पास करने का ध्यान रखना और गाड़ियों के चालन (रन) के दौरान पायी गयी किसी खराबी के संबंध में चिल्लाकर अथवा अंग संचालन द्वारा चालक एवं गार्ड का ध्यान आकृष्ट करेगा।

ग. अपने कर्तव्य काल में चेक रेल को साफ रखना।

5 गार्ड –

5.1 सामान्य पर्यवेक्षण

5.2 सही वाहनों/वैगनों को जोड़ना/काटना और सही मार्शलिंग।

5.3 सुनिश्चित करना कि शंटिंग पूर्ण हो जाने के बाद वाहनों/वैगनों की कपलिंग सही एवं सुरक्षित है तथा गाड़ी में निर्धारित वैक्यूम की उपलब्धता है तथा वैगनों के दरवाजे बन्द हैं, विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.01(5) (iii) (बी) देखें। यह गार्ड एवं ड्राइवर दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जाँचा जायेगा।

5.4 शंटिंगरत गाड़ी के हिस्से के साथ रहना और आवश्यकता पड़ने पर कॉटों को सही बनाने तथा ताला लगाने को सुनिश्चित करना।

5.5 शंटिंग के लिये हाथ सिगनल देना तथा साथ ही शंटिंग के मार्ग में पड़ने वाले फाटक को बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करना।

(बसन्त राय)
मं0सि0दू0इं0/निर्माण
पू0उ0रे0/वाराणसी
दिनांक

(एन0एन0 दास)
मंडल परि0 प्रबन्धक
पू0उ0रे0/वाराणसी
दिनांक